



### अधिसूचना

एतद्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका Writ (C) of 4800 of 2024, Charu Mishra Vs Union of India, Ministry of Health and Family Welfare Department, Government of India Through its Principal Secretary, New Delhi & Others में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक: 08.01.2025 को पारित आदेश के समादर एवं अनुपालन में सुश्री चारु मिश्रा, छात्रा मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गदिया बाराबंकी का MBBS IIIrd Prof (Part One) (Old Course) Main Exam 2024 का परीक्षाफल घोषित किया जाता है।

उक्त परीक्षाफल विश्वविद्यालय के वेबसाईट [www.rmlau.ac.in](http://www.rmlau.ac.in) पर उपलब्ध है।

परीक्षा नियन्त्रक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव/वित्त अधिकारी, कुलसचिव/वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
3. उपकुलसचिव/प्रशासनिक अधिकारी (गोपनीय/परीक्षा)।
4. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित की उक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, विश्वविद्यालयीय अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ।
6. कार्यालयीय प्रति।

परीक्षा नियन्त्रक